Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम .....रायसिंहनगर

सन्तकुमार बनाम देवीलाल आदि

केस्म मुकदमा केवियट अन्तर्गत 148 ए सीपीसी

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/281 नम्बर 17 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इणिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
6.06.2025	प्रार्थी सन्तकुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार साकिन करड़वाली की ओर से श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता ने केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	847 18/6/25

27/9/25 आज पत्रावली पेश हुई लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थना पत्र पेश करते हुए मौखिक अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ है कि कोई वाद पत्र पेश नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र में अंकित चस्पाने का कथन। प्रार्थना पत्र में कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इस स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली अंकित होकर नम्बर हो।

अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.10.15 10:32:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर